<u>न्यायालय मुंसिफ, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>अधिकार वाद सं0– 137/2019</u>

कबुतरी देवी ....वादिनी

बनाम्

रामलगन सहनी वगैरह ....प्रतिवादी

<u>23.11.2022</u> अभिलेख आज प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवदेन के विरूद्ध विरोध के संबध में आवेदन दिनांक 27.07.2022 एंव तत्संबधित वादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 14.09.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी प्रतिवादी प्रथत पक्ष की ओर से सर्वे जानकार अधिवक्ता द्व ारा दाखिल प्रतिवेदन के विरोध में दाखिल आवदेन में यह निवेदन किया है कि चर्वे जानकार अधिवक्ता द्वरा दाखिल प्रतिवेदन सत्यता से परे है तथा किस नक्शा से विवादित भूमि का पैमाइस किया गया है। इसका उल्लेख अपने प्रतिवेदन मे नही किया है। एंव विवादित भुमि का कैडेस्ट्रल सर्वे नक्सा एंव रिभिजनल सर्वे नक्सा में बहुत का अन्तर है। तथा उक्त प्रतिवेदन वादी के मेल व प्रभाव में आकर समर्पित किया गया है। अतः निवेदन है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता के प्रतिवेदन को निरस्त करने की कृपा कि जाय।

वादी द्वारा दाखिल अपने प्रतिउत्तर में यह निवेदन किया गया कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर दाखिल विरोध पत्र विधि एंव तथ्य के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं एंव खारिज करने योग्य है। सर्वे जानकार आयुक्त की नियुक्ति न्यायालय के ओदश के द्वारा तथा दोनो पक्ष कर ओर से दाखिल आवेदन के सुनवाई पश्चात किया गया था। तथा उक्त प्रतिवदेन विवादित भुमि का भौतिक सत्यापन एंव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उभयपक्षो को सूना एंव अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद वादि की ओर से अधिकार की उदघोषणा एंव दखल कब्जा के लिए लाया गया है। एंव उक्त भूभाग पर दोनो पक्ष अपना अपना दखल कब्जा होने का दावा करते है। तथा पुर्व में वादी एंव प्रतिवादी की ओर से सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के नियुक्ति के संबध में आवेदन दाखिल किया गया था जिसके सुनवाई पश्चात न्यायलय के द्वारा अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया था। अतः प्रतिवादीगण का सर्वे जानकार अधिवक्ता प्रतिवदेन पर आपत्ति वयक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त तथ्यो एंव परिथितियो में प्रतिवादी की ओर से दाखिल आपत्ति आवेदन को कारण खारिज किया जाता है। प्रतिवादी यदि चाहें तो उक्त प्रतिवेदन पर अधिवक्ता आयुक्त के साक्ष्य के क्रम में अपने आपत्ति के संबध में प्रश्न उठा सकते है।

वाद दिनांक **07/12/2022** वास्तें वादी साक्ष्य हेतु।

ह0/–
मुंसिफ
शाहपुर पटोरी।